उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या-1/2019/1297/53-1-2018-3(42)/2008
लखनऊ:दिनांक: 15 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, राज्य दुग्ध परिषद एवं उसकी सदस्य इकाईयों, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ जिसमें उसकी इकाईयां भी सम्मिलित हैं, के अधीन सभी सेवाओं में एवं उसके सदस्य सहकारी दुग्ध संघों के अधीन सभी सेवाओं में भी इस आदेश के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1297(1)/53-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रति तथा अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के असाधारण गजट दिनांक 15 जनवरी, 2019 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में प्रकाशित कराकर, उसकी 200 मुद्रित प्रतियां शासन के दुग्ध विकास अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1297(2)/53-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सचिव, राज्य दुग्ध परिषद, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से कराने का कष्ट करें।
10- समस्त प्रभारी/महाप्रबन्धक, समस्त दुग्ध संघ, उ0प्र0/पराग डेरी नोएडा।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
DUGDH VIKAS ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1297/53-1-2018-3(42)/2008, Date 15 January, 2019.

NOTIFICATION

No. 1297/53-1-2018-3(42)/2008
Lucknow Dated 15 January, 2019

WHEREAS the State Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do,

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months with effect from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all the services under the Dairy Development Department Uttar Pradesh Rajya Dugdh Parishad and its member units, Pradeshik Co-operative Dairy Federation Limited, Lucknow which includes its units, also in all services under its member Co-operative Milk Unions.

Under sub-section (2) of the said section the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the Gazette.

By order,

(DR. SUDHIR M. BOBDE)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।